

न्यायालय जिला कलक्टर एवं आर्बीट्रेटर, श्रीगंगानगर
विविध एन.एच. प्रकरण संख्या 57/2022(GCMS 2022/324)

प्रदीप सिंह पुत्र श्री रणजीत सिंह जाति जटसिख निवासी चक 46 एफ तहसील
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर

बनाम

1. भारत संघ जरिये सचिव, सडक परिवहन एवं उच्च मार्ग मंत्रालय, ई दिल्ली
2. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, एन.एच. वियन ईकाई,
हनुमानगढ जंक्शन
3. सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी(राजमार्ग), श्रीकरणपुर,
जिला श्रीगंगानगर

16.11.2023

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सिंह मनोत एवं अप्रार्थीगण
के अधिवक्ता श्री विनोद शर्मा उपस्थित हुए। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिवक्ता ने कथन किया है कि
प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में किन्तू के 90 व खजूर के 48 पौधों के संबंध में
कथन करते हुए व अनुतोष चाहते हुए यह प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है, जो कि
श्रीमान मध्यस्थ महोदय के समक्ष चलने योग्य नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग
अधिनियम, 1956 की धारा 3जी(5) के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवधारित
राशि किसी पक्षकार को स्वीकार नहीं होने की दशा में ही श्रीमान मध्यस्थ महोदय
के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है, तदनुसार तो मुआवजा राशि का
अवधारित होना आवश्यक है। प्रस्तुत प्रकरण में प्रश्नगत पौधों की सक्षम प्राधिकारी
(भूमि अवाप्ति) द्वारा कोई मुआवजा राशि अवधारित नहीं की गई है, इसलिये
प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर धारा 3जी (5) के प्रावधान लागू ही नहीं होते हैं, तो आगे
धारा 3जी(6) के अन्तर्गत माध्यस्थ एवं सुलह अधिनियम 1996 के प्रावधान भी
लागू नहीं होते हैं, जिसके कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वर्तमान में विधिक
रूप से मध्यस्थ प्रक्रिया के अन्तर्गत नहीं आने से नियुक्त मध्यस्थ महोदय के
श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार से परे होने के कारण प्रथम दृष्टया ही खारिज किये
जाने योग्य है और प्रार्थी, श्रीमानजी से कोई राहत प्राप्त करने का अधिक
है।

आर्बीट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर



उनका आगे यह भी कथन है कि केन्द्र सरकार ने लोकहित में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-911 के निर्माण के लिये भूमि अवाप्ति हेतु सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिये उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर की नियुक्ति उपरान्त ग्राम 46 एफ, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर में स्थित मुरब्बा नं. 36 के किला नम्बर 9 व 10 में से भूमि अवाप्ति हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3ए के तहत दिनांक 02.04.2018 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित की गई, जिसका समाचार पत्रों में प्रकाशन कर आपत्तियां आमंत्रित की गई, प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण किया गया।

उनका आगे यह भी कथन है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3जी(7)(ए) के अनुसार अवाप्तधीन भूमि व उस पर अवस्थित सरंचनाओं/परिसंपत्तियों यथा पेड़ पौधों आदि के मुआवजे का निर्धारण धार 3ए की अधिसूचना की तारीख को प्रचलित मूल्य, स्थिति आदि को ध्यान में रखते हुए किया जाता है अर्थात धारा 3ए की अधिसूचना जारी होने के पश्चात नियम विरुद्ध जाकर अनैतिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु अवाप्त भूमि पर कोई सरंचना/परिसंपत्ति यथा पेड़ पौधों आदि स्थापित किये जाते हैं, तो उनके मुआवजे का नियमानुसार निर्धारण नहीं किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 की उपधारा (इ) में दी गई भूमि की परिभाषा के अनुसार भूमि के अन्तर्गत भूमि से उत्पन्न फायदे, भूबद्ध चीजे अथवा भूबद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से जकड़ी हुई चीजे आती है।

उनका आगे यह भी कथन है कि MoRTH भारत सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की अनुपालना में जारी A Manual of Guidelines on Land Acquisition for National Highways under The National Highways Act, 1956 में स्पष्ट है कि सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा अवाप्त भूमि एवं उक्त भूमि पर अवस्थित किसी पेड़, सरंचना/परिसंपत्ति इत्यादि का मुआवजा निर्धारण अधिनियम 1956 की धारा 3ए की अधिसूचना तारीख की स्थिति के अनुसार किया

जायेगा तथा धारा की अधिसूचना के बाद अवाप्त भूमि पर कोई निर्माण या परिवर्तन होने पर मुआवजा देय नहीं होगा। नये भूमि अवाप्ति अधिनियम 2013 की धारा 11(4) के अनुसार भी प्रारम्भिक अधिसूचना जारी होने के पश्चात अवाप्त भूमि पर किसी प्रकार का विल्लंगम सर्जित नहीं किया जा सकता।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी द्वारा किन्नू व खजूर के पौधों के संबंध में मौका निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 17.09.2021 के अनुसार सहायक निदेशक उद्यान द्वारा अनुचित एवं अवैध तरीके से तैयार मूल्यांकन रिपोर्ट का सहारा लेते हुए अनुचित मुआवजा प्राप्त करने बाबत अपने प्रार्थना पत्र में बार-बार निरर्थक कथन करते हुए वास्तविक तथ्यों को छुपाकर श्रीमान मध्यस्थ महोदय को गुमराह करने का भरसक प्रयास किया है। इस संबंध में वस्तुस्थिति इस प्रकार है कि अधिनियम 1956 की धारा 3ए की अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 के जारी होने के पश्चात व सहायक निदेशक उद्यान मय गठित कमेटी द्वारा निरीक्षण हेतु मौके पर दिनांक 17.09.2021 को पहुंचने से पूर्व ही प्रार्थी ने अनुचित मुआवजा प्राप्त करने की लालसा में अवाप्त भूमि पर बाहर से अत्यधिक नये बड़े प्रश्नगत पौधे लाकर पास-पास में रोपित कर दिये गये, जिसकी सहायक निदेशक उद्यान ने धारा 3ए की अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 की स्थितिनुसार मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार नहीं कर, मौका निरीक्षण की दिनांक 17.09.2021 की मौका स्थिति अनुसार किन्नू के 90 व खजूर के 48 पौधों की आयु 4 वर्ष मानकर मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार कर दी गई, जिसके बाद श्रीकरणपुर क्षेत्र में कुछ कृषकों द्वारा उनके खेतों में बड़े पौधे लगाकर मुआवजा प्राप्त करने की मौखिक सूचना कार्यालय सहायक निदेशक उद्यान, श्रीगंगानगर को प्राप्त हुई, जिस पर ऐसा प्रकरण संज्ञान में आने पर इन्हीं सहायक निदेशक उद्यान द्वारा अपने पत्रांक 5866 दिनांक 23.03.2022 से सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) श्रीकरणपुर को अवगत कराते हुए कमेटी गठित कर, पुनः निरीक्षण करने की अभिशंका की गई व संदेहास्पद बागों की मूल्यांकन रिपोर्ट पुनः

करने की अनुशंषा भी की गई, तदोपरान्त सक्षम प्राधिकारी के आदेश की अनुपालना में गठित कमेटी के सदस्यों द्वारा मौके पर पहुँचकर दिनांक 10.06.2022 को जांचोपरान्त फर्द मौका तैयार की गई, जिसकी तहसीलदार (भू-अ.) श्रीकरणपुर द्वारा रिपोर्ट तैयार कर दिनांक 17.06.2022 को सक्षम प्राधिकारी (भू. अवाप्ति) श्रीकरणपुर को प्रेषित कर दी गयी।

उनका आगे यह भी कथन है कि कमेटी रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत पेड़-पौधों केवल वही लगाये गये हैं, जहां से भारतमाला की सड़क प्रस्तावित है तथा धारा 3ए की अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 के जारी हो जाने के पश्चात् अधिक मुआवजा प्राप्त करने के उद्देश्य से रोपित किये गये हैं, जिनका सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा कोई मुआवजा नहीं दिया जाना उचित मानते हुए दिनांक 24.06.2022 को परिसम्पत्तियों का अवार्ड पारित कर दिया गया, जो कि प्रार्थी की सीमा तक विधिनुसार है। प्रार्थी भी धारा 3ए के अन्तर्गत जारी अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 से पूर्व अवाप्त भूमि पर प्रश्नगत पौधे रोपित होने के तथ्य को ठोस विधिक प्रमाणित दस्तावेजी साक्ष्य से साबित कर पाने में पूर्णतया असफल रहा है। इस प्रकार प्रार्थी धारा 3ए की अधिसूचना जारी होने के पश्चात् रोपित अवैधानिक प्रश्नगत पौधों का कोई मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थी का हस्तगत प्रार्थना पत्र सारहीन, आधारहीन एवं मिथ्या आधारों पर होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि धारा 3ए की अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 की मौका स्थिति के विपरित जाकर अनुचित व अवैध तरीके से सहायक निदेशक उद्यान द्वारा मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार कर दिये जाने के बाद स्वयं सहायक निदेशक उद्यान ने अपने पत्रांक 5866 दिनांक 21.03.2022 द्वारा सक्षम प्राधिकारी से कमेटी गठित कर पुनः निरीक्षण व मूल्यांकन करने की अभिशंषा की गई, जिस पर गठित कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा परिसम्पत्तियों का अवार्ड दिनांक 24.06.2022 को पारित किया गया है।

इसलिए मौका निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 17.09.2021 के अनुसार सहायक निदेशक उद्यान द्वारा तैयार मूल्यांकन रिपोर्ट वर्तमान दशा में सारहीन हो चुकी है।

उनका आगे यह भी कथन है कि राज्य स्तरीय कमेटी ने अधिनियम 1956 की धारा 3ए की अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 के पश्चात रोपित किये गये नये बड़े प्रश्नगत पेड़-पौधों का केवल मई 2022 की मौका स्थिति अनुसार निरीक्षण कर तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार की गई है, उक्त कमेटी ने प्रश्नगत पेड़-पौधे अवाप्तधीन भूमि पर कब रोपित किये गये, के संबंध में नहीं की गई है। इसलिये राज्य स्तरीय कमेटी की रिपोर्ट प्रश्नगत पेड़-पौधे के संबंध में प्रार्थी की कोई मदद नहीं करती है। सहायक निदेशक उद्यान की अभिशंषा पर गठित कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत पौधे धारा 3ए की अधिसूचना के पश्चात अवाप्त भूमि पर रोपित पाये जाने से सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रश्नगत पौधों का कोई मुआवजा निर्धारित नहीं किया गया है, जो कि सही एवं नियमानुसार है।

उनका आगे यह भी कथन है कि सहायक निदेशक उद्यान ने श्रीमान मध्यस्थ महोदय के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट पत्रांक 6419 दिनांक 07.02.2023 में 6 खातेदारों का मुआवजा निरस्त कर दिया जाना अंकित किया है, जिसमें प्रार्थी भी सम्मिलित है, जिसकी पुष्टि उक्त रिपोर्ट के साथ संलग्न कृषकवार पौधों की मुआवजा सूची से होती है, जिसमें प्रार्थी का नाम, मुरब्बा, प्रश्नगत पौधे नहीं है, क्योंकि सहायक निदेशक उद्यान की अनुशंषा पर गठित कमेटी की रिपोर्ट अनुसार प्रश्नगत पौधे धारा 3ए की अधिसूचना जारी होने के पश्चात केवल अवाप्ताधीन भूमि पर ही विधिविरुद्ध रोषित पाये जाने से प्रार्थी को कोई मुआवजा नहीं दिया गया है, इसलिये सहायक निदेशक उद्यान ने प्रार्थी को मुआवजा दिये जाने के संबंध में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई। अतः सहायक निदेशक उद्यान द्वारा प्रश्नगत पौधों के संबंध में की गई अंतिम कार्यवाही से पूर्व में तैयार मूल्यांकन रिपोर्ट वर्तमान दशा में आधारहीन व सारहीन हो चुकी है, जिसके संबंध में कहे गये कथनों का प्रार्थी को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना-पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि राज्य स्तरीय गठित कमेटी, जिसमें सहायक निदेशक उद्यान भी सम्मिलित थी, ने अपनी रिपोर्ट में माना है कि कुछ कृषकों ने किन्नू के पौधों के मध्य खजूर के पौधें रोपित किये गये हैं, जो तकनीकी एवं व्यवसायिक रूप से भी उपर्युक्त नहीं है। अतः प्रार्थी कोई मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

उनका आगे यह भी कथन है कि सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) ने उपरोक्त तथ्यों पर विचार विमर्श व प्रस्तुत सामग्री का अवलोकन करने के पश्चात ही परिसम्पत्तियों का अवार्ड दिनांक 24.06.2022 को पारित किया है, जो प्रार्थी की सीमा तक सही व अन्तिम है।

उनका आगे यह भी कथन है कि वास्तविक तथ्यों के संबंध में प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में कुछ भी दर्ज नहीं किया है। प्रार्थी ने बदनियती से जानबूझकर श्रीमानजी को गुमराह कर बेजा फायदा उठाने की गरज से प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों को प्रार्थना पत्र में दर्ज नहीं कर वास्तविक तथ्यों को छिपाकर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो कि concealment of facts की श्रेणी में आता है। प्रार्थी ने वास्तविक तथ्यों को छिपाकर बिना किसी आधार के अप्रार्थीगण को हैरान व परेशान करने के लिए श्रीमान जी के समक्ष यह हस्तगत प्रकरण गलत व मिथ्या आधारों पर प्रस्तुत किया है, जो कि खारिज किये जाने योग्य है।

इसके विपरीत प्रार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सिंह भनौत ने कथन किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3जी(5) का अविलम्ब लेकर मध्यस्थ महोदय के श्रवणधिकार व श्रेत्राधिकार को अस्वीकार इस आधार पर किया गया है कि मध्यस्थ के समक्ष केवल उसी स्थिति में प्रकरण प्रस्तुत हो सकता है, यदि सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा कोई मुआवजा राशि अवधारित की गई हो। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के द्वारा दी गई विधिक स्थिति सही नहीं है।

उनका आगे यह भी कथन है कि धारा 3जी(5) में अधिग्रहण की जा रही भूमि की मार्केट वैल्यू का मुआवजा निर्धारण जहां सक्षम प्राधिकारी भी कर सकते हैं, वहीं मध्यस्थ को भी समान अधिकार विधि के द्वारा प्रदान किए हुए हैं और भूमि की मार्केट वैल्यू का मुआवजा भूमि, उस पर लगे पेड़, बाग, रिहायशी मकान आदि, सब सम्मिलित होते हैं, इसलिए अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का यह कथन कि केवल मुआवजा राशि अवधारित होने की स्थिति में ही मध्यस्थ महोदय के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत हो सकते हैं, विधि के विरुद्ध किये गये कथन है और उपरोक्त विधि के प्रावधान स्वयं से ही स्पष्ट है कि श्रीमान् मध्यस्थ महोदय का प्रकरण के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार विधिक तौर पर प्राप्त है।

उनका आगे यह भी कथन है कि भूमि पर लगे बाग के सम्बन्ध में है, तीन स्तर की व्याख्या की गई है, प्रथम कि सहायक निदेशक उद्यान से अनुचित एवं अवैध तरीके से मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त की गई, द्वितीय यह शिकायत प्राप्त होने पर कि कुछ लोगों ने मुआवजा अधिक लेने के उद्देश्य से अपनी भूमि में बाग वहीं लगाए हैं, जहां से भारतमाला के अन्तर्गत सड़क प्रस्तावित है और यह बाग राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित होने के उपरान्त लगाए गए हैं और तृतीय राज्य स्तरीय गठित कमेटी ने भी माना है कि कुछ कृषकों ने किन्नु व खजूर के पौधे रोपित किए हैं जो तकनीकी व व्यवसायिक रूप से भी उपयुक्त नहीं हैं।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रथम सहायक निदेशक उद्यान की मूल्यांकन रिपोर्ट किस प्रकार से गलत थी, के सम्बन्ध में लिखित बहस में लेशमात्र कथन नहीं किया गया है और द्वितीय जब राज्य स्तरीय कमेटी गठित कर दी गई जिसमें कृषि व उद्यान विभाग के वरिष्ठतम विशेषज्ञ अधिकारियों के द्वारा श्रीमान् मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार के दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत जांच कर अपनी रिपोर्ट दे दी गई और यह रिपोर्ट पूर्व में प्रस्तुत की गई समस्त रिपोर्ट को Superceed करती है और इस रिपोर्ट को नहीं मानने का कोई कारण नहीं हो सकता और स्वयं अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 के द्वारा भी इस रिपोर्ट पर किसी प्रकार

का कोई आक्षेप नहीं लगाया है और न ही लगाया जाना सम्भव था एवं इस रिपोर्ट में यह सही है कि कुछ कृषकों के द्वारा किन्नू और खजूर के पौधे रोपित किए गए थे एवं उनके सम्बन्ध में कोई मुआवजा राशि का अवधारण नहीं किया गया है, जबकि सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) के द्वारा ऐसे कृषकों को करोड़ों रुपये का मुआवजा दिया गया एवं उदाहरण स्वरूप प्रार्थीगण के द्वारा एक प्रकरण सतेन्द्र कुमार पुत्र परमानन्द निवासी 1 एफ(ए), तहसील करणपुर का भी उल्लेख बहस के समय श्रीमान् जी के समक्ष किया गया था, जिसे सक्षम प्राधिकारी के द्वारा करोड़ों रुपये का मुआवजा अवधारित किया गया, जबकि राज्य स्तरीय कमेटी के द्वारा मुआवजा शून्य बतलाया गया।

उनका आगे यह भी कथन है कि राज्य स्तरीय कमेटी के द्वारा की गई विस्तृत जांच और जांच के उपरान्त मुआवजे को अवधारित करते हुए दी गई रिपोर्ट प्रमाणिक सबूत है और ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण अपनी-अपनी भूमि में लगे बागों का मुआवजा अवधारित करवाने के अधिकारी हैं, इसलिए प्रार्थीगण का प्रकरण स्वीकार किया जाकर मुआवजा अवधारित किया जावे।

मैनें. उभयपक्ष की बहस सुनी। उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया तो नेशनल हाईवे द्वारा राजस्थान राज्य भारतमाला परियोजना पैकेज-06 के 0.000 कि.मी. से 34.500 कि.मी. तक के भूखण्ड (श्रीगंगानगर-रायसिंहनगर सैक्शन) के निर्माण (चौड़ा करने/दो लेन/चार लेन को बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए प्रार्थी और प्रार्थी के परिवार के नाम तहसील श्रीकरणपुर के चक 46 एफ की तहसील श्रीकरणपुर के मुरब्बा नम्बर 35 के किला नम्बर 6 से 10, मुरब्बा नम्बर 36 के किला नम्बर 7/2, 8, 9, 10 एवं मुरब्बा नम्बर 38 के किला नम्बर 3, 8, 13 सालम नहरी रकबा राजस्व अभिलेख में दर्ज है। उक्त मुरब्बा नम्बर 36 के किला नम्बर 9 व 10 पर सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर ने अवार्ड पारित कर, भूमि अवाप्त की गई। जिसका सक्षम प्राधिकारी

(भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर द्वारा निर्धारित भूमि की मुआवजा राशि प्रार्थी द्वारा प्राप्त कर ली गई है, किन्तु उक्त चक 46 एफ के उक्त मुरब्बा नम्बर 36 के किला नम्बर 9 व 10 पर प्रार्थी के अनुसार बाग था किन्तु सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर ने उक्त भूमि में कोई बाग रोपित न होना मानते हुए दिनांक 24.06.2022 को इस आशय का अवार्ड पारित किया है की प्रार्थी की कोई मुआवजा राशि देय नहीं बनती है, जिसके विरुद्ध प्रार्थी प्रदीप सिंह ने यह प्रकरण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3जी(5) के तहत अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत किया है।

पत्रावली के अवलोकन के यह भी पाया गया कि सहायक निदेशक उद्यान, श्रीगंगानगर ने अपनी प्रथम मूल्यांकन रिपोर्ट के निष्कर्ष के अनुसार कृषक प्रदीप सिंह के यहां गठित कमेटी द्वारा मौका निरीक्षण करने पर पाया कि मुरब्बा नं. 36 के बीघा नं. 9 व 10 में कुछ भूमि भारतमाला सडक के अन्तर्गत आना प्रस्तावित है। उक्त भूमि में 90 किन्तू के पौधे रोपित है जिसकी आयु 4 वर्ष है तथा 48 पौधे खजूर के रोपित है, जिनकी आयु 04 वर्ष है। उक्त पौधों की आयु के आधार पर मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार कर कुल 5,68,76,742/- रूपये की मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है।

उक्त मूल्यांकन रिपोर्ट के पश्चात सहायक निदेशक उद्यान, श्रीगंगानगर ने अपनी द्वितीय रिपोर्ट अपने पत्रांक 5866 दिनांक 21.03.22 से सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर को निम्नानुसार प्रस्तुत की है:

श्रीमान् निदेशक उद्यान, राजधान जयपुर के पत्रांक प.11() नि.उ. /नर्सरी/मुआवजा/2006-07/3545-3608दिनांक 13.07.2006 में दिये गये निर्देशानुसार भारतमाला/पैकेज-6/पार्ट-1/भू.अ./457-458-459-460 दिनांक 09.09.2021 में दिये गये निर्देशानुसार राजस्थान राज्य में भारतमाला परियोजना पैकेज-6(पार्ट-1) के श्रीगंगानगर (एनएच-62) साधुवाली-जैड माईनर-श्रीकरणपुर-गजसिंहपुर-रायसिंहनगर के 2/4 लेन मय पेव्ड शोल्डर कार्य के अन्तर्गत अवाप्तिधीन भूमि में आ रही परिसम्पत्तियों में उद्यान पेड़ों का मूल्यांकन किये जाने हेतु अद्योहस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा श्रीकरणपुर क्षेत्र के 2/4 लेन मय पेव्ड शोल्डर कार्य के अन्तर्गत अवाप्तिधीन भूमि में आ रही परिसम्पत्तियों में उद्यान पेड़ों का मूल्यांकन किया गया था। इस संदर्भ में निवेदन है कि कमेटी द्वारा खजूर व किन्नू के सम्बन्ध में की गई मूल्यांकन रिपोर्ट श्रीमान् आयुक्त उद्यानिकी के प्रासंगिक पत्रांक में दिये गये दिशा-निर्देशानुसार ही बनाये गये थे, जो कि श्रीमान् आयुक्त उद्यानिकी के नवीनतम (19.11.2020) दिशा-निर्देश है। जबकि श्रीमान् उप महाप्रन्धक (NHAI), हनुमानगढ़ के प्रासंगिक पत्रांक में दिनांक 02.09.2019 की बैठक कार्यवाही का विवरण दिया गया है।

परन्तु श्रीकरणपुर क्षेत्र के कुछ कृषकों द्वारा बड़ी उम्र के पौधे जमीन लगाकर मुआवजा प्राप्त करने की मौखिक सूचना इस कार्यालय को प्राप्त हुई है। अतः इस प्रकरण के संज्ञान में आने के बाद संदेहास्पद होने के कारण उक्त बागों का निरीक्षण श्रीमान् तहसीलदार श्रीकरणपुर, संबंधित भू-अभिलेख निरीक्षक, संबंधित पटवारी व गिरदावर तथा अद्योहस्ताक्षरकर्ता की कमेटी गठित कर

पुनः निरीक्षण करने की अभिशंषा की जाती है तथा इनमें से जो बाग वास्तविक है उनकी मूल्यांकन रिपोर्ट यथावत तथा अन्य बाग जो संदेहास्पद है, उनकी मूल्यांकन रिपोर्ट पुनः करने की अनुशंषा की जाती है।

-sd-

सहायक निदेशक उद्यान
श्रीगंगानगर

उक्त प्रतिवेदन दिनांक 21.03.2022 के आधार पर सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर द्वारा एक गठित कमेटी की गई। जिस पर दिनांक 10.06.2022 को फर्द मौका तैयार की गई, जिस पर पटवार मण्डल 46 एफ, पटवार मण्डल 10ओ, भू अभिलेख निरीक्षक एवं तहसीलदार, श्रीकरणपुर के हस्ताक्षर है। जिसके आधार पर तहसीलदार, श्रीकरणपुर ने सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर को निम्नानुसार रिपोर्ट पेश की है:

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि श्रीमानजी के प्रासंगिक आदेश की पालना में गठित कमेटी के सदस्यों के साथ चक 46 एफ तहसील श्रीकरणपुर के मु.नं. 36 के कि.नं. 9 व 10 में पहुंचे। मुताबिक चालू जमाबन्दी चक 46 एफ मु.नं. 36/0.645 हैक्ट. में किला नम्बर 9, 10/0.506 हैक्ट भूमि प्रदीप सिंह पुत्र रणजीत सिंह के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त मु.न. 36 के कि.न. 06 से 15 का आंशिक भाग भारतमाला सड़क के अन्तर्गत अवाप्त किया गया है। उक्त में से मु.न. 36 के कि.न. 09 व 10 पर किन्नू व खजूर का बाग लगा हुआ है जो कि लगभग 02 वर्ष पुराना प्रतीत होता है। खसरा गिरदावरी सम्वत् 2076 से 2078 में बाग, 2074 से 2075 में अन्य फसल अंकित है।

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उक्त समस्त बाग के पौधे जहां से भारतमाला के अन्तर्गत सड़क प्रस्तावित है, वहीं ही लगाये गये है। उक्त बाग मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड खसरा गिरदावरी भारतमाला भूमि अवाप्ति हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3ए के अन्तर्गत भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 1454 अ. दिनांक 02.04.2018 व अखबार में प्रकाशन दिनांक 11.04.2018 के पश्चात लगा हुआ है। नकल जमाबन्दी व गिरदावरी संलग्न है।

अतः नकल जमाबन्दी व नकल खसरा गिरदावरी व अन्य कागजात के रिपोर्ट आगामी कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्न : उक्तानुसार व मूल फर्द मौका।

-sd-

तहसीलदार (भू.अ.)
श्रीकरणपुर

उक्त रिपोर्ट के आधार पर सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर ने दिनांक 24.06.2022 को अवार्ड पारित किया गया है, जिसके पृष्ठ संख्या 5 के पैरा जी में निम्नानुसार अंकित किया है:

G. प्रदीप सिंह पुत्र रणजीत सिंह चक 46 एफ तहसील श्रीकरणपुर के मुरब्बा नम्बर 36 के किला नम्बर 9 एवं 10 में 90 पौधे किन्नू के रोपित किए गये है। इस संबंध में तहसीलदार (भू.अ), श्रीकरणपुर के पत्र क्रमांक भू-अ/4268 दिनांक 17.06.2022 के अनुसार प्राप्त रिपोर्ट अनुसार खसरा गिरदावरी सम्वत् 2074-2075 में उक्त किला नं. में मूंग व ग्वार की फसल काश्त की गई है। उक्त पौधे जहां से भारतमाला की सड़क प्रस्तावित है, वहीं पर लगाये गये है तथा यह पौधे भूमि अवाप्ति हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3ए के अंतर्गत भारत के राजपत्र में

अधिसूचना संख्या का.आ. 1454 अ. दिनांक 02.04.2018 व अखबार में प्रकाशन दिनांक 11.04.2018 के पश्चात एवं सीमांकन के पश्चात मुआवजा राशि प्राप्त करने के उद्देश्य से पौधों का रोपण किया गया है। अतः मुआवजा राशि दिया जाना उचित नहीं है।

विचाराधीन प्रकरण में सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर ने अप्रार्थी प्रदीप सिंह को बाग के रूप में कोई मुआवजा राशि तय नहीं की है, तो ऐसी अवस्था में क्या धारा 3जी(5) के तहत बतौर आर्बीट्रेटर को निम्नहस्ताक्षरकर्ता को कोई क्षेत्राधिकार है अथवा नहीं? सर्वप्रथम इस बिन्दु का निस्तारण करना आवश्यक है। यदि निम्नहस्ताक्षरकर्ता को धारा 3जी(5) के प्रावधानों के तहत सुनवाई का क्षेत्राधिकार होगा तो ही आगे गुण दोष पर विचार किया जाना उचित होगा अन्यथा नहीं। धारा 3जी(5) निम्न प्रकार से है:

3G Determination of amount payable as compensation :-

(5) If the amount determined by the competent authority under subsection (1) or sub section (2) is not acceptable to either of the parties, the amount shall, on an application by either of the parties, be determined by the arbitrator to be appointed by the Central Government

उक्त क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर पक्षकारों को सुना गया। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी लिखित बहस में कथन किया है कि अप्रार्थी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3जी(5) में उठाई गई आपत्ति पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की सम्पूर्ण धारा 3जी को देखना आवश्यक है। प्रार्थी ने धारा 3जी को निम्न प्रकार से व्याख्या की है :

3G. Determination of amount payable as compensation –

(1) Where any land is acquired under this Act, there shall be determined by an order of the competent authority

धारा 3जी(7) का भी पठन भी आवश्यक है जो उनके अनुसार निम्नानुसार है:

3G(7) The competent authority or the arbitrator while determining the amount under sub-section 1 or sub-section 5, as the case may be, shall take into consideration –

- (a) the market value of the land on the date of publication of the under notification 3(a)
- (b) the damage, if any, sustained by the person interested at the time of taking position of the land by reason of the severing of such land from other land;
- (c) the damage, if any, sustained by the person interested at the time of taking position of the land by reason of the acquisition injuriously affecting his other immovable property in any manner or his earning;
- (d) if in consequences of the acquisition of the land the person interested is compelled to change his residence or place of business, the reasonable expenses, if any, incidental to such change.

अप्रार्थी का यह कथन है कि प्रार्थी द्वारा धारा 3जी(5) के तहत यह प्रकरण प्रस्तुत किया है किन्तु उसने सम्पूर्ण धारा 3जी पर उसने विचार करना आवश्यक बताया है। धारा 3जी(5) निम्न प्रकार से है:

3G Determination of amount payable as compensation :-

(5) If the amount determined by the competent authority under subsection (1) or sub section (2) is not acceptable to either of the parties, the amount shall, on an application by either of the parties, be determined by the arbitrator to be appointed by the Central Government

उक्त भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3जी(5) के अनुसार दोनों पक्षों में से कोई भी पक्ष यदि समक्ष प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर द्वारा निर्धारित की गई राशि से सहमत नहीं है, तो वह आर्बिट्रेटर के समक्ष आवेदन कर सकता है, परन्तु विचाराधीन प्रकरण में सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर ने प्रार्थी की अवाप्ति की गई भूमि के लिए उद्यान विभाग की रिपोर्ट एवं तहसीलदार, श्रीकरणपुर की रिपोर्ट के आधार पर अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 पर कोई बाग रोपित न होने के कारण कोई मुआवजा राशि तय नहीं की है। इसलिए उक्त धारा 3जी(5) के तहत इस न्यायालय को बतौर आर्बिट्रेटर तभी क्षेत्राधिकार प्राप्त होता है, जब कोई मुआवजा राशि तय की गई हो, जबकि प्रार्थी के इस मामले में मुआवजा के रूप में कोई राशि तय नहीं की गई है। प्रार्थी ने अपनी लिखित बहस में धारा 3जी का उल्लेख किया है किन्तु उनके द्वारा जानबूझकर धारा 3जी(2), (3),(4),(5) और (6) का उल्लेख नहीं किया है और धारा 3जी(1) के साथ धारा 3जी(7) का उल्लेख किया है। इन धाराओं पर तभी विचार किया जा सकता है जब कोई मुआवजा के रूप में राशि तय की गई हो। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रार्थी अभिभाषक द्वारा जानबूझकर धारा 3जी(5) और अन्य उक्त वर्णित धाराओं का लोप किया गया है, जिससे न्यायालय भ्रमित हो सके। यहां यह भी उल्लेख करना उचित रहेगा कि प्रार्थी ने अपने मूल प्रार्थना में भी धारा 3जी(5) के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए अपनी टिप्पणी में राशि(Amount) की जगह अवाई शब्द की व्याख्या कर प्रार्थना पत्र पेश किया है।

चूंकि सक्षम प्राधिकारी(भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर ने अपने आदेश दिनांक 24.06.2022 से कोई मुआवजा राशि तय नहीं की गई है। अगर सक्षम प्राधिकारी(भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर द्वारा कोई मुआवजा राशि तय की गई हो तो उसे कम/ज्यादा करने के सम्बन्ध में भी

पक्षकार निम्नहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष धारा 3जी(5) के तहत आ सकते है अन्यथा नहीं? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3जी(5) निम्नानुसार पुनः अवलोकनीय है :

3G Determination of amount payable as compensation :-
(5) If the amount determined by the competent authority under subsection (1) or sub section (2) is not acceptable to either of the parties, the amount shall, on an application by either of the parties, be determined by the arbitrator to be appointed by the Central Government

चूंकि सक्षम प्राधिकारी(भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर द्वारा अपने आदेश दिनांक 24.06.2022 कोई मुआवजा राशि तय नहीं की गई है। इसलिए धारा 3जी(5) के तहत प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकार नहीं है और ऐसी अवस्था में निम्नहस्ताक्षरकर्ता को आर्बीट्रेटर के रूप में उक्त प्रकरण को धारा 3जी(5) के अन्तर्गत सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं होता है। अतः ऐसी देशा में गुण दोष पर विचार नहीं किया जा सकता है। इसलिए प्रार्थी को सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने के लिए उसका प्रकरण और उसके द्वारा प्रस्तुत मूल दस्तावेज सहित वापिस लौटाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर सक्षम प्राधिकारी(भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर द्वारा कोई मुआवजा राशि निर्धारित न करने के कारण निम्न हस्ताक्षरकर्ता को धारा 3जी(5) के तहत कोई क्षेत्राधिकार न होने के कारण सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने के लिए वापिस लौटाया जाता है। इस आशय का नोट प्रार्थी के मूल प्रार्थना पत्र की पुस्त पर अंकित किया जावे। आदेश की प्रति सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तर्तीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 16.11.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंशदीप)

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर